सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- 10/2021-13(6)/2017/का-1-2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 01 अक्टूबर, 2021

विषय:- राज्याधीन सेवाओं में, पदोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु, चयन वर्ष 2021-22 तक उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या-6/2019-13(6)/2017/का-1-2019, दिनांक 25.10.2019 एवं कार्मिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1052/का-1-2020, दिनांक 05.01.2021 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने प्रशासकीय/अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन कार्मिकों के सम्बन्ध में शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर, चयन वर्ष 2021-22 तक पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों का नियमानुसार आगणन कर, पदोन्नति की कार्यवाही दिनांक 31-10-2021 तक पूर्ण करा ली जाय।

2- उक्तानुसार कार्यवाही के उपरान्त पूरे विभाग की समेकित सूचना (संलग्न प्रारूप पर) दिनांक 08-11-2021 तक कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,
राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या- 10/2021-13(6)/2017(1)/का-1-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक

<u>प्रारूप</u>

विभाग का नाम----------

चयन वर्ष 2021-2022 तक आगणित रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु संस्तुत/पदोन्नत किये गये कार्मिकों का संक्षिप्त विवरण।

समूह	चयन वर्ष 2021-2022 तक आगणित रिक्तियों की संख्या	पदोन्नति हेतु संस्तुत कार्मिकों की संख्या	पदोन्नति प्रदान किये जा चुके कार्मिकों की संख्या	अभ्युक्ति
क				
ख				
ग				
योग-				

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।